

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- कमर चौधरी
आई0ए0एस0



प्रार्थना पत्र सं0 04/2023

बैंक ऑफ बडौदा, मुख्य शाखा आगरा रोड, दौसा जरिये प्राधिकृत अधिकारी महेश गुप्ता
...प्रार्थी/सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

मैसर्स सेवन एग्रो प्रोपराईटर श्रीमती मीनाक्षी राजावत पत्नि श्री देवेन्द्र,
पता: (अ) लालसोट रोड बाईपास, रेल्वे ओवरब्रिज के पास, दौसा जिला दौसा राज0 303303
पता: (ब) प्लॉट नंबर एल-690, शिक्षक कॉलोनी, गुप्तेश्वर रोड, दौसा तहसील दौसा जिला
दौसा राजस्थान 303303
पता: (स) 194, न्यू सांगानेर रोड, सुमेर नगर, राजावत फार्म के पीछे, मानसरोवर जयपुर
राजस्थान-302020

....अप्रार्थी/ऋणी

श्री वीरेन्द्र सिंह भाटी पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह भाटी

पता: प्लॉट नंबर एल-690, शिक्षक कॉलोनी, गुप्तेश्वर रोड, दौसा तहसील दौसा जिला दौसा
राजस्थान -303303

....गारन्टर

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति
हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002 बंधक संपत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थित : श्री जगत सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 30.06..2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा, शाखा आगरा रोड, दौसा ने अप्रार्थी/ऋणी को 85,00,000/- (रुपये पच्चासी लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी/सह ऋणीगण द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी एवं सह ऋणीगण द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी व सहऋणीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा, शाखा आगरा रोड, दौसा को सूचित किया गया। हमने प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा, शाखा जयपुर रोड, दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं नोटिस पत्र

....निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा, शाखा जयपुर रोड, दौसा को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13(2)के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई श्री वीरेन्द्र सिंह भाटी पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह भाटी की प्लॉट नंबर एल-690, शिक्षक कॉलोनी, गुप्तेश्वर रोड, दौसा तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान में स्थित आवासीय संपत्ति जिसका कुल क्षेत्रफल 177.78 वर्गगज है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा, शाखा आगरा रोड, दौसा को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 30 जून, 2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा